

राजस्थान सरकार  
वित्त (बीमा) विभाग

क्रमांक : प.5(5)वित्त/बीमा/2020-पार्ट II

जयपुर, दिनांक: 23.08.2024

आदेश

राज्य सरकार द्वारा राजकीय उपक्रमों/स्वायत्तशाषी संस्थाओं/बोर्ड/निगम/विश्वविद्यालय आदि के आरजीएचएस कार्ड धारक कार्मिकों एवं पेंशनरों को राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) के अन्तर्गत आउटडोर चिकित्सा परिचर्या हेतु व्यय की प्रतिवर्ष वर्तमान सीमा रू. 20000/- को बढ़ाकर रू. 30000/- (अक्षरे राशि रूपये तीस हजार मात्र) किया जाता है।

इसके अतिरिक्त इन आरजीएचएस कार्ड धारक पेंशनरों की मृत्यु होने पर इनके परिवार के उन सदस्यों को भी आरजीएचएस के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधा, पात्र आश्रित के रूप में प्राप्त होगी जो पेंशनर की मृत्यु के उपरान्त संबंधित राजकीय उपक्रम/स्वायत्तशाषी निकाय/बोर्ड/निगम/विश्वविद्यालय आदि के पेंशन विनियमों में पारिवारिक पेंशन के रूप में पात्र होंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(देबाशीष पृष्टि)  
शासन सचिव, वित्त (व्यय)

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय (वित्त मंत्री), राजस्थान।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव माननीय मंत्री महोदय/राज्य मंत्री महोदय।
4. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
6. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी, जयपुर।
11. निदेशक (सांख्यिकी) मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
12. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान जयपुर।
13. समस्त अनुभाग, शासन सचिवालय।
14. प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-7) विभाग, राजस्थान जयपुर।
15. विधि रचना संस्थान, राजस्थान जयपुर।
16. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग (कम्प्यूटर अनुभाग)
17. रक्षित पत्रावली।

(धनलाल शोरावत)  
संयुक्त शासन सचिव

23/8/24